न्यायालय उप जिलाधिकारी ,सलेमपुर जनपद देवरिया।

[illegible] /वर्ष–2017

[illegible] अन्तर्गत धारा 80 उ0प्र0 – राजस्व संहिता।

मौजा– [illegible] बलिया [illegible]

तहसील–सलेमपुर जनपद देवरिया।

निर्णय

[illegible] राजीव कुमार राम त्रिपाठी पुत्र राजेश कुमार त्रिपाठी निवासी ग्राम पिण्डी [illegible] सलेमपुर गम्भीरी तहसील सलेमपुर जनपद देवरिया द्वारा उ0प्र0राजस्व संहिता की धारा 80 के अन्तर्गत प्रस्तुत [illegible] किया गया है कि विवादित भूखण्ड विद्यालय के नाम से सरकारी अभिलेख में अंकित है, जिसपर बयुजा [illegible] महाविद्यालय पिण्डी, [illegible] प्रबन्धक द्वारा वर्षों पीढ़ी पर अधिकृत एवं अध्यासित है। विवादित आराजी में [illegible] कार्य अथवा कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, सुअर पालन कार्य नहीं होता है। विवादित भूखण्ड के [illegible] पर [illegible] बना हुआ है, तथा विद्यालय की चारदीवारी बनी हुई है। उक्त में आराजी नम्बर 875 मि0 / रकबा [illegible] हे0 में निर्मित आवासीय मकान होने के कारण राजस्व संहिता की धारा 80 के तहत अकृषिक घोषित करने का निवेदन किया गया है।

[illegible] पत्रावली का सम्यक अनुशीलन किया तथा पक्षों के विद्वान अभिभाषक के सुविचारित तर्कों को सुना [illegible] का पर्याप्ताक संलग्न है। तहसील की आख्या एवं राजीनी से अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि [illegible] नहीं होता है। तहसीलदार,सलेमपुर की आख्या दिनांक 21–12–2017 में उक्त भूमि को कृषि से [illegible] किया जाना औचित्यपूर्ण माना गया है। राजस्व संहिता 2006 में प्रावधानित है कि जिस भूमि [illegible] कृषि अथवा कृषि वानिकी, पशुपालन ,कुक्कुट पालन अथवा मत्स्य पालन सम्बन्ध हेतु [illegible] नहीं किया जा रहा है ,उसे कृषि से भिन्न प्रयोग हेतु घोषित किया जा सकता है। उक्त के क्रम में तहसीलदार,सलेमपुर से प्राप्त मूल्यांकन आख्या दिनांक 08–01–2018 के अनुपालन में राजी द्वारा मूल्यांकन शुल्क [illegible] हजार छत्तीस सौ तीन रूपये मात्र)की ट्रेजरी चालान संख्या 01/ दिनांक 17–01–2018 द्वारा [illegible] जमा कर ,चालान की प्रति उपलब्ध कराया गया है जो संलग्न पत्रावली है। इस प्रकार [illegible] 875 मि0/रकबा 0.170 हे0 भूमि को अकृषिक घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

[illegible] तहसीलदार,सलेमपुर की आख्या दिनांक 21–12–2017 से सहमत होते हुए मौजा जगसरा [illegible] सलेमपुर गम्भीरी तहसील सलेमपुर स्थित आराजी संख्या 875 मि0/रकबा 0.170 हे0 [illegible] महाविद्यालय,पिण्डी द्वारा प्रबन्धक राजीव कुमार राम त्रिपाठी पुत्र राजेश कुमार राम त्रिपाठी निवासी [illegible] की भूमि को अकृषिक घोषित किया जाता है। परगना अमला–दखलकार जारी हो। आदेश का अक्षरशः [illegible] अंकित किया जाय। आदेश की प्रमाणित प्रति उप निबन्धक सलेमपुर को भेजी जाय [illegible] पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक [illegible] /04/ 2018.

([illegible])
उप जिलाधिकारी,
सलेमपुर।

[illegible]

बयुजा डी कॉलेज ऑफ फार्मेसी
पिण्डी, देवरिया

Sanjay Yadav

प्रधानाचार्य
बालिका डॉ. कॉलेज ऑफ एजुकेशन
दिल्ली, [illegible]